जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी - 1459 दिनांक 30/5/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दिनेश सैनी पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी द्वारा मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना "गंगा विहार विस्तार" के निम्नलिखित भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री दिनेश सैनी पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी	55	300.00

श्री बिरदीचन्द सैनी कि मृत्यु दिनांक 24.02.2022 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी के वारिसान (1) श्रीमती संतोष देवी (पत्नी) (2) श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी राकेश सैनी पुत्री श्री बिरदीचन्द सैनी (पुत्री) (3) श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री मुकेश सैनी पुत्री श्री बिरदीचन्द सैनी (पुत्री) (4) कुमारी दीपिका सैनी पुत्री स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी (पुत्री) के द्वारा उक्त भूखण्ड के लिये श्री दिनेश सैनी पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी श्री दिनेश सैनी पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-514
31.5.22

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री दिनेश सैनी पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द सैनी निवासी–55, गंगा विहार कॉलोनी, बडी का खेडा, बगरू, तहसील सांगानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–09/2022/डी– 3116 दिनांकः– 31.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	34	248.88 वर्ग मीटर	जेवियर आर्केड–II	श्री पोखर मल पुत्र श्री भीवाराम	श्रीमती हीरा देवी पत्नी श्री पोखरमल	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन–9,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-515
31.5.22

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के नामहरतान्तरण/लीजडीड आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवदकों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामहरतान्तरण/लीजडीड जारी कर दी जाएगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री खाटुश्याम रियल मार्ट एल.एल.पी. जरिए पार्टनर आशिष अग्रवाल	ख.न. 428/478	ग्राम हथरोई–90ए
2.	वर्षा, खुशबू, भारती व रोहित	जीएफ–188	झालाना फेज–III
3.	श्री राजीव भार्गव	ए–232	मालवीय नगर
4.	श्री राकेश कुमार असवाल	420	झालाना स्केल्टन फेज–III
5.	श्रीमती प्रेम देवी	ई–50	झालाना फेज–III

30/5/22

उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

पीआरओ
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–1/22/डी– 1571
दिनांकः– 30/5/22

PRO/R-516
31.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर — 302 004
फोन : 0141-2573150 (O) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–1 / 2022 / डी– 1558   दिनांकः– 30/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा की झालाना फैज III योजना के भूखण्ड संख्या–जी एफ–188 का नाम हस्तान्तरण पत्र श्री जयकिशन केसवानी पुत्र श्री प्रहलाद राय दिनांक 28.01.2022 को जारी किया गया था श्री जयकिशन केसवानी पुत्र श्री प्रहलाद राय कि मृत्यु दिनांक 16.02.2022 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। जयकिशन केसवानी के वारीसों द्वारा (1) श्रीमती वर्षा केसवानी पत्नि स्वः जयकिशन केसवानी (2) खूशबू केसवानी पुत्री स्वः जयकिशन केसवानी (3.) भारती केसवानी पुत्री स्वः जयकिशन केसवानी (4) रोहित केसवानी पुत्र स्वः जयकिशन केसवानी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड़ का नामहस्तान्तरण व पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर नियमानुसार नाम हस्तान्तरण व पट्टा संबंधी कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंम्पर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करें।

30/05/2022
उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा.1 / जोन–1 / 2022 / डी– 1565 दिनांकः 30/5/22

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या–ए–232 का पट्टा श्रीमती शरला भार्गव पत्नी श्री राजकिशोर भार्गव को जारी किया गया था। श्रीमती शरला भार्गव की मृत्यु दिनांक 15.04.2022 मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। श्रीमती शरला भार्गव द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा श्री राजीव भार्गव पुत्र श्री राजकिशोर भार्गव को की गई। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एराएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

30/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1567   दिनांकः– 30/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की झालाना रकेल्टन फेज–I. योजना के भूखण्ड संख्या–420 श्री शंकर पुत्र कालू मीणा को आवंटन पत्र जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री शंकर द्वारा अपंजिकृत इकारारनामा के आधार पर श्री प्रभुदयाल खटिक पुत्र श्री चंदाराम खटिक को विक्रय किया गया था। श्री प्रभुदयाल की मृत्यु दिनांक 21.03.2001 को होना अवगत कराया है, उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग (1)–श्रीमती तेजा उर्फ हरली पत्नी स्व. श्री प्रभुदयाल (2)–श्री नारायण लाल खटिक पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल (3)–श्री मोहनलाल खटिक पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल (4)–प्रकाश खटिक पुत्र स्व. श्री कुंज बिहारी पौत्र स्व. श्री प्रभुदयाल (5)–कुमारी राधा पुत्री स्व. श्री कुंजबिहारी पौत्री स्व. श्री प्रभुदयाल (6)–श्री राकेश कुमार असवाल पुत्र स्व. श्री कुंज बिहारी पौत्र स्व. श्री प्रभुदयाल के द्वारा अपना–अपना हिस्सा श्रीमती इंद्रा देवी पत्नी स्व. श्री कुंजबिहारी पुत्रवधू स्व. श्री प्रभुदयाल को किया गया। श्रीमती इन्द्रा देवी की मृत्यु दिनांक 03.11.2020 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु के उपरान्त अब श्री प्रकाश खटिक पुत्र स्व. श्री कुंज बिहारी पौत्र स्व. श्री प्रभुदयाल एवं राधा पुत्री स्व. श्री कुंज बिहारी पौत्री स्व. श्री प्रभुदयाल के द्वारा राकेश कुमार असवाल को अपना–अपना हिस्सा 1/4 का रजिस्टर्ड हकत्याग किया गया। प्रार्थी श्री राकेश कुमार असवाल उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नाम हस्तांतरण जारी करवाना चाहता है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

30/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा.1/जोन–1/2022/डी–1568 दिनांकः–30/5/22

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, झालाना फेज–III के भूखण्ड संख्या–ई–50 का आवंटन श्री करीम खां पुत्र श्री नूर मोहम्मद के नाम जारी किया गया था। मूल आवंटी श्री करीम खां पुत्र श्री नूर मोहम्मद ने अपंजीकृत इकरारनामा के द्वारा श्री गंगा प्रसाद पुत्र मानुराम को किया गया। श्री गंगा प्रसाद की मृत्यु दिनांक 08.07.2013 को हो गई है। श्री गंगा प्रसाद के वारिशों द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र/संशोधित हकत्याग पत्र (1) सुनिता रैगर पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद (2) इन्द्रा पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद (3) अनिता पुत्री स्व. श्री गंगा प्रसाद द्वारा अपनी माता श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व. श्री गंगा प्रसाद को किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

ह0

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

30.05.2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2022 / डी– 3061 दिनांकः– 27.5.2022

–ःसूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन / भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व / सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति / संस्था / कम्पनी / सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम / पिता / पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती ज्ञान देवी जाटवा पत्नी श्री जगदीश (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि. की योजना कीर्ति सागर–जी)	02	200.00
2	श्री शेर सिंह नरूका पुत्र श्री हनुमान सिंह नरूका (मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना विष्णु विहार)	08	200.00

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

PRO/9.517
31.5.22

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 655 दिनांकः– 27/5/22

–:सार्वजनिक सूचनाः–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैः–

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री मोहन लाल राणा पुत्र श्री हनुमान सहाय (सूरजपोल गेट गृ0वि0स0स0लि0की योजना–समता नगर)	ए–5 नार्थ पार्ट	146.66
2	श्री भीम सिंह पुत्र श्री मातादीन गुर्जर (सूरजपोल गेट गृ0वि0स0स0लि0की योजना–समता नगर)	ए–5 साउथ पार्ट	146.66
3	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री लालचन्द मीणा (श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि.की योजना–गंगा सागर–ए)	196	183.3
4	श्री महेश चन्द यादव पुत्र श्री श्रवण राम यादव (अपोलो नगर हा.को.आप.सो.लि.की येाजना–जगदम्बा नगर–ए)	93बी	234.55
5	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री प्रभात लाल (टैगोर नगर गृ.नि.स.स.लि.की योजना–प्रभात फलैटस)	22	157.94
6	श्रीमती संतोष पत्नी श्री रामनिवास (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि.की योजना–पवनपुत्र–डी)	137ए	100
7	श्रीमती गुणवन्त कंवर पत्नी श्री कुलदीप सिंह (अपोलो नगर हा.को.आप.सो.लि.की येाजना–जगदम्बा नगर–ए)	199सी	125
8	श्रीमती कोमल शर्मा पत्नी श्री हिमांशु शर्मा (मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना–राष्ट्रिय नगर)	36	198.88
9	श्री दावर सलीम खान/अब्दुल सलीम खान (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि.की योजना–पवनपुत्र–जी)	179ए	100
10	श्री रामफूल चौधरी पुत्र स्व0 श्री सुवालाल (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि0 जयपुर की योजना–विकास नगर–बी)	154 साउथ पार्ट	194.41
11	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री जसवंत सिंह यादव (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि.की योजना–चन्द्र वाटिका)	ए–7	300
12	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री जसवंत सिंह यादव (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि.की योजना–चन्द्र वाटिका)	ए–8	294
13	श्रीमती गीता मेहरा पत्नी श्री पान सिंह मेहरा (श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि0 जयपुर की योजना–लावपुरा कॉलानी)	ए–6ए	111.11
14	श्री लक्ष्मीकान्त यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव (अपोलो नगर हा.को.आप.सो.लि.की येाजना–हीरा नगर–ए)	242	233

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
2. उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

PRO/R-518 31/5/22

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी– 1525

दिनांक 30/5/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर के भूखण्ड संख्या–25 क्षेत्रफल 355.55 वर्ग गज की लीजडीड़ श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री नाथूराम शर्मा के नाम से दिनांक 05.11.09 को जारी की गई थी। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड़ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती सुनिता सिंघल पत्नी श्री राजकुमार सिंघल, निवासी–95, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर को बैचान कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त भूखण्ड़ के हस्तानान्तरण हेतु आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा क्रमांक 593 दिनांक 01.04.2021 के नाम हस्तानान्तरण पत्र जारी किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिर्वतन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या–ii के खण्ड (vii) के अनुसार पट्टा / लीजडीड में अनुमत प्रयोजनार्थ से प्रस्तावित भू–उपयोग मास्टर प्लान / जोनल प्लान के अनुरूप होने के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मिश्रित भू–उयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड़ के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भूखण्ड़ संख्या–26, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड़ संख्या–24, पूर्व दिशा की ओर 40 फीट सड़क एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 फीट सड़क है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना कें दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस (रिक्त भूखण्ड़ हेतु) की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन–8 को कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 30/5/22 को जारी की गई।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-519
31.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 3081 दिनांक– 30.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	8	216.66 व.ग.	रिद्वी–सिद्वी एनक्लेव	श्रीमती दिव्या मनवानी पत्नी स्व. श्री अनिल मनवानी एवं प्रथम मनवानी पुत्र स्व. श्री अनिल मनवानी जरिये सरंक्षिका माता श्रीमती दिव्या मनवानी	श्री अनिल मनवानी पुत्र श्री नारायण दास मनवानी	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सजरा प्रमाण।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-520
31.5.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी– 1664 दिनांक :– 31/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.–15	कमानी रोड (श्री छत्रपति शिवाजी गृ.निस.स.)	श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह	सूची मे अन्य किसी का नाम है।
2.	भू.सं.–डी–52	मुरलीपुरा योजना	श्री महमूद कुरैशी पुत्र स्व. श्री बोन्दुखां कुरैशी	श्री प्रकाश चन्द गुरनानी पुत्र श्री टहलराय	मृत्यु के आधार पर।
3.	भू.सं.–डी–169	मुरलीपुरा योजना	श्री नवल किशोर सैन	श्री रतनलाल सैन पुत्र श्री पीरूमल सैनी	मृत्यु के आधार पर।
4.	भू.सं.–डी–5 (पश्चिमी भाग)	जयश्री नगर (संयुक्त गृ.नि.स.स.)	श्री गंगाराम सैनी पुत्र श्री सूरजमल सैन	श्री गंगाराम सैनी पुत्र श्री सूरजमल सैन	सदस्य सूची मे नाम भिन्नता के सम्बन्ध मे।
5.	भू.सं.–सी67डी	4सी माचडा (मोती भवन गृ.नि.स. स.)	श्री उमराव पुत्र श्री हनुमान राम कादयान	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल खण्डेलवाल	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
6.	भू.सं.–सी643	4सी माचडा (मोती भवन गृ.नि.स. स.)	श्री कमलेश कुमार त्रिवेद्वी पुत्र श्री मोहनलाल त्रिवेद्वी	श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री मुकुन्द राम शर्मा	मूल दस्तावेजात् गुम होने बाबत्।
7.	भू.सं.–सी643	4सी माचडा (मोती भवन गृ.नि.स. स.)	श्री गिरिराज प्रसाद त्रिवेद्वी पुत्र श्री मोहनलाल त्रिवेद्वी	श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री मुकुन्द राम शर्मा	मूल दस्तावेजात् गुम होने बाबत्।
8.	भू.सं.–130	गायत्री नगर (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्रीमती छिगन कंवर पत्नी श्री दशरथ सिंह	श्रीमती सुमन चौधरी पत्नी श्री प्यारेलाल चौधरी	उतराधिकार का प्रकरण होने के सम्बन्ध मे।
9.	भू.सं.–बी 23	मुरलीपुरा योजना	श्री गिर्राज सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह	श्री हनुमान सिंह चौहान पुत्र स्व.श्री राधाकिशन	मृत्यु एवं रजि.हकत्याग के सम्बन्ध मे।

PRO/R-521 31.5.22

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):
ई-मेल : (rajasthan.gov.in)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–13/2022/डी– 4191 दिनांकः– 31/5/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफजल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	ए–2/64	390.00 व.मी.	श्री अशोक बेरी, विजय बेरी एवं अश्वनी बेरी पुत्र स्व. श्री रघुनाथ राय	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर	नामहस्तांतरण/फ्री होल्ड लीजडीड
2.	एच–234	200.00 व.मी.	श्री मोतीलाल खटीक पुत्र स्व. श्री जौहरी लाल खटीक	जविप्रा	कल्पना नगर	नामहस्तांतरण/फ्री होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd

उपायुक्त, जोन–13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–
1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–13
ज.वि.प्रा, जयपुर

PRO/R-524
31.5.22

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

DATED- 31.5.22

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101871 /3118

लोक सूचना

खातेदार आवेदक बाबूलाल पुत्र बद्री हिस्सा 7/24, जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4, प्रभु नारायण पुत्र बद्री हिस्सा 5/24, रामस्वरूप पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टे.
ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर	आवेदक बाबूलाल पुत्र बद्री हिस्सा 7/24, जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4, प्रभु नारायण पुत्र बद्री हिस्सा 5/24, रामस्वरूप पुत्र कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर	466 467	0.6500 0.0900
	कुल	**कुल किता 2**	**कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31.5.22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-523
31.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या P-1135 दिनांक 30-5-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हरतांतरित होने के कारण **सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति लि0** की योजना **श्री श्याम विहार विस्तार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे. मे)	स्वामित्व
श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	192 193 194	0.2200 0.2100 0.2400	1. जगदीश पुत्र मोहरिया हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. जोधी पत्नि स्व. मोहरिया हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. धन्ना पुत्र मोहरिया हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. रामकरण पुत्र मोहरू हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार 5. हनुमान पुत्र मोहरिया हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार
भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर	270	0.0900	1. कल्याण पुत्र कुशला हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. गंगा देवी पत्नि स्व. ग्यारसी लाल हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार 3. छाजुराम पुत्र ग्यारसीलाल हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार 4. नाथुलाल पुत्र कुशला हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार
	कुल किता 4	कुल 0.7600 हैक्टे.	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.ग.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 30-5-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–12 जविप्रा, जयपुर

PRO/R-522
31-5-22

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/101832 दिनांक 30/05/2022

लोक सूचना

श्री **SHRI KHATU SHYAM REAL MART LLP THROUGH PARTNER AASHISH AGARWAL** पुत्र श्री **MANOHAR LAL AGARWAL** जाति **MAHAJAN** निवासी **298 INFRONT OF HATHROI SCHOOL, AJMER ROAD, JAIPUR** आवेदक के द्वारा खसरा नम्बर 428/478 में से 4943.14 वर्ग मीटर भूमि की आवासीय प्रयोजनार्थ 90–A करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त खसरा नं0 का बेचान महाराजा मानसिंह जी के मुख्यतारआम श्री चन्द्रपाल सिंह के द्वारा 26.12.1962 को हरेन्द्र पाल सिंह के पक्ष में विक्रय पत्र निरपादन कराया गया था। श्री हरेन्द्र पाल सिंह के द्वारा दिनांक 10.09.2021 को आवेदक के पक्ष में विक्रय पत्र निरपादित किया गया था। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि महाराज कुमार श्री भवानी सिंह जी के नाम संपूर्ण खसरा नम्बर दर्ज रिकॉर्ड है। महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की मृत्यु दिनांक 16.04.2011 को हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान श्रीमति पद्मिनी देवी पत्नि स्व0 श्री महाराजा सवाई भवानी सिंह जी, श्रीमति दिया कुमारी पुत्री स्व0 श्री महाराजा सवाई भवानी सिंह जी, महाराजा सवाई पदमनाभ सिंह पुत्र स्व0 श्री महाराजा सवाई भवानी सिंह जी के, द्वारा 5912.05 वर्ग गज भूमि का समर्पणनामा 500 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा तस्दीक सुदा प्रस्तुत किया गया है।

क्र. स0	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं0	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1	ग्राम–हथरोई, तह0 व जिला–जयपुर	SHRI BHAWANISINGH	428/478	4943.14	0.4943
				कुल	**0.4943**

इसलिए इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **30.05.2022** को जारी की गयी।

30/05/2022

प्राधिकृत अधिकारी जोन–01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त, जोन–1
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner